सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं.RCMS2020/00045

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : डा. गुंजन सोनी, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 12/2020

श्री हरीराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. श्री धर्मपाल पुत्र श्री मनीराम वर्मा —नमूना विक्रेता एवं मालिक—
   मै0 धर्मपाल दूधवाला वार्ड नम्बर 8, मेन रोड़, साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
   निवासी :— वार्ड नम्बर—8, साधुवाली, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अभियुक्त

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा (2)(2)/51 एवं 31(2)/58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय दिनांक : 27.07.2020

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री हरिराम वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 17.05.2017 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 17.05.2017 से वर्तमान कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त जिला श्रीगंगानगर कार्यक्षेत्र अग्रिम आदेशों तक आवंटित किया है।

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 02.07.2019 को दोपहर पूर्व 9.30 बजे श्री राकेश सचदेवा लेब तकनीशियन, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर के साथ धर्मपाल दूधवाला वार्ड नम्बर 08, मेन रोड़, साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर के यहां दुकान पर पहुंचे। वहां पर धर्मपाल पुत्र श्री मनीराम वर्मा उम्र 44 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 8, साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर उपस्थित मिला। उपस्थित को निरीक्षण दल ने अपना परिचय देकर उक्त दुकान का निरीक्षण किया तो दुकान में 80 लिटर क्षमता वाली एक स्टील की टंकी में लगभग 20 लिटर **Mixed Milk** आमजन को विक्रय हेतु रखा हुआ था। मिलावट/नकली का शक होने पर नमूना जॉच **K-964** के नमूनीकरण के लिये इस टंकी में से 2 लिटर **Mixed Milk** टंकी के दूध को दूध मापक से हिला मिला कर एकरूप करके जिसकी कीमत 60/—रू0 (अखरे रूपये साठ मात्र) का नगद भुगतान देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा गवाहान श्री राकेश सचदेवा एवं रमेश कुमार के हस्ताक्षर है एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री हरिराम वर्मा ने भी हस्ताक्षर किये।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म संख्या 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्त्ता श्री धर्मपाल पुत्र श्री मनीराम वर्मा एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं 05 की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्त्ता को देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा **Mixed Milk** को एक साफ एवं सुखे स्टील के भगोने में प्राप्त कर इसको बराबर–बराबर मात्रा में चार प्लास्टिक की बोतलों में भरकर चार नमूना भाग बनाए एवं प्रत्येक नमूना भाग में उचित मात्रा में प्रिटर्वेटिव फार्मलिन की उचित मात्रा मिलाकर कंसकर ढक्कन बन्द किये एवं टेप चिपकाकर लेबल पर कोड एवं सीरियल नम्बर, दिनांक, स्थान खाद्य पदार्थ का नाम अंकित कर उस पर खाद्य करोबारकर्त्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षयुक्त पेपर स्लिप के–964 को नियमानुसार नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार 4–4 जगह मोडकर सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्त्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य विक्रेता ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

फूड एनालिस्ट राजस्थान जयपुर द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/1558/एक्ट/2019/1088 दिनांक 10.07.2019 **नमूना के –964 Mixed Milk** अमानक स्तर (Substandard) होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त धर्मपाल पुत्र श्री मनीराम वर्मा निवासी वार्ड नम्बर 08 साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **Mixed Milk** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2)(2)/51 एवं 31(2)/58 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 23.06.2020 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने **Mixed Milk** का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार (Sub-standard) पाया गया है। प्राथी ने उक्त **Mixed Milk** में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। लिहाजा जबाव पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के प्रति नरमाई का रूख अपनाया जाकर प्रकरण का आज ही निस्तारण करने की कृपा करें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **Mixed Milk** का सैम्पल के–964 जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/1558/एक्ट/2019/1088 दिनांक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

ऑन लाईन नं.RCMS2020/00045

10.07.2019 द्वारा (Substandard) होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की उप धारा 26 (2)(2)/51 एवं 31(2)/58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध साबित होता है। जिसमें अधिकतम 5,00,000 रूपये की शास्ति का प्रावधान है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने **Mixed Milk** का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार (Sub-standard) पाया गया है। प्राथी ने उक्त **Mixed Milk** में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। लिहाजा जबाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के प्रति नरमाई का रूख अपनाया जाकर प्रकरण का आज ही निस्तारण करने की कृपा करें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

हमने पत्रावली एवं Food Analyst की दिनांक 10.07.2019 की रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया। अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 2(2) का उल्लधन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 52 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के पश्चात **Mixed Milk** विक्रेता एफएसएसए–2006 की धारा 31(2) की श्रैणी में आता है। अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, अभियुक्त धर्मपाल पुत्र मनीराम वर्मा नमूना विक्रेता एवं मालिक–पर **Food Safety and Standards (Food Products and Food Aditives) Regulation, 2011.**के तहत **Mixed Milk** का विक्रय करने पर धारा 26(2)(2)/51 एवं 31(2)/58 के तहत 5,000/–रूपये (अखरे रूपये पांच हजार मात्र) शास्ति अधिरोपित की जाती है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त **Mixed Milk** का विधिक प्रावधानानुसार व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत चेतावनी देते हुए विधिक नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करें।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **Mixed Milk** के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.07.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. गुजन सोनी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर